FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

जगदीश वगै0 **बनाम रतन लाल** वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–06 सन्– 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2022	अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार–2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी फैलीराम बनाम रतन लाल वगै0 प्रकरण संख्या 04/2021 विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.8.2022 द्वारा गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी रतन लाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी ग्राम कालीखाड तहसील नांगल राजावतान को दिनांक 21.6.1992 को ग्राम चक कालीखाड स्थित आराजी खसरा नंबर 82 का आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। अन्य प्रार्थीगणो द्वारा उसी आवंटन आदेश एवं उसी खसरा नंबर की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 21.6.1992 को इस प्रार्थना पत्र 4(4) आवंटन नियम 1970 को पुनः चुनौती दी गई है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक बार न्यायालय से जिस आवंटन आदेश का गुणावगुण के आधार पर निर्णय को पारित कर दिया गया है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.8.2022 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 04/2021 उनवानी फैलीराम बनाम रतन लाल वगै0 का दिनांक 17.8.2022 को निर्णय जो कि मैरिट के आधार पर निस्तारण किया गया है, के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर आवंटी रतन लाल पुत्र गंगाधर मीना को ग्राम चक कालीखाड के खसरा नंबर 82 का किया गया आवंटन बहाल रखा गया है। एक बार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे कानूनन पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत हैं कि प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थी[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज [illegible] पत्रावली [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली [illegible] भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official